(घ) अन्य

235 (1) लोक उद्यमों में निदेशक मंडल के गैर–सरकारी सदस्यों के बैठक शूल्क (सिटिंग फीस) की अदायगी।

वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत लोक उद्यमों के निदेशक मंडल के एक गैर–सरकारी अंशकालिक सदस्य द्वारा तारीख 15.6.88 के का.ज्ञा.सं. 2(31)/87–बी पी ई/डी पी ई (डब्ल्यू सी) के अनुसार निम्नलिखित दरों पर बैठक शुल्क की अदायगी की जाती है:–

अनुसूची जिसके अंतर्गत लोक उद्यम आता है	प्रतिदिन समिति बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए	उप–समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए
	(रू.)	(रू.)
क	250	150
ख	200	100
ग	150	75
घ	100	50

2. सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि बैठक शुल्क की निश्चित मात्रा को निम्नलिखित के अनुसार किया जाए:–

(क) कंपनी कार्य विभाग द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर नवरत्न और लाभ कमाने वाले उद्यम, अपने गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की बैठक शुल्क में वृद्धि की मात्रा पर निर्णय ले सकते हैं।

(ख) अन्य सा.क्षे. के उद्यम इन सा. क्षे. के उद्यमों का प्रबंधन, कंपनी कार्य विभाग द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर, अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों के बैठक शुल्क का निर्णय ले सकता है ।

3. उपर्युक्त पैरा 2(क) में यथा उल्लिखित लाभकारी लोक उद्यम ऐसे उद्यम हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में निरन्तर पूर्व–कर लाभ अर्जित किए हैं और जिनको नकारात्मक शुद्ध मूल्य से हानि नहीं हुई है। यदि कोई सा.क्षेत्र का उद्यम एक वर्ष से अधिक की अवधि तक इन अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहता है तो लाभकारी उद्यमों के लिए विनिर्दिष्ट वितरण स्वत: ही वापिस समझा जाएगा, तथा ऐसी स्थितियों में गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों के बैठक शुल्क का निर्णय उपर्युक्त पैरा 2(बी) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

4. प्रशासकीय मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षित है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत लोक उद्यमों में ध्यान में पूर्ववर्ती अनुदेशों को लाएं।

(लोक उ.वि. का 20 अगस्त, 1997 का कार्या.ज्ञा.सं.2(31)/87–डी पी ई/(डब्ल्यू सी)